निर्णय ब–इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 22/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री कल्याण सहाय करोल प्रवर्तन अधिकारी, आमेर, जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स न्यू ताज होटल एवं रेस्टोरेन्ट निम्स हास्पिटल के पास, चंदवाजी, आमेर, जरिये आरिफ खान पुत्र श्री लतीफ खान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 2.000 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राम दयाल कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैद्य भण्डारण एवं वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के साथ मैसर्स न्यू ताज होटल एवं रेस्टोरेन्ट निम्स हास्पिटल के पास, चंदवाजी, आमेर की फर्म मालिक श्री आरिफ खान पुत्र श्री लतीफ खान की मौजूदगी में जांच की किये जाने पर मौके पर पाये गये एव जब्त किये गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 2.000 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 12.08.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदयाल कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल पी जी 2.000 कि॰ग्रा॰ पाये गये है। फर्म द्वारा रेस्टोरेन्ट का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वाणिज्यक दर से कम दर पर उपलब्ध कराई जाती है जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा रेस्टोरेन्ट पर उपभोक्ताओं के लिए खाद्य्य सामग्री बनाने के लिये घरेलू गैस सिलेण्डर काम में लिये जा रहे थे। इससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है । अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का कोई वाणिज्यक उपयोग नहीं किया जा रहा था। जब्त सिलेण्डर्स अप्रार्थी के परिवार के है जो गैस भरवाने के लिए रखते हुये थे, जिनको रसद विभाग द्वारा गलत तरीके से जब्त कर लिया गया है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 07.06.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर बाबत दोराने निरीक्षण या दौराने कार्यवाही किसी प्रकार का कोई वैद्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वाणिज्यक दर से कम दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बाजवूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से रेस्टोरेन्ट पर खाद्य्य सामग्री बना कर उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है। जिससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है एवं प्रकरण में मैन्सरिया (Mens Rea) पाया जाता है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 14.200 कि.ग्रा. क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2.000 कि.ग्रा. एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है।

8. प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 14.200 कि.ग्रा. क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2.000 कि.ग्रा. एल.पी.जी. को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 12.08.2024 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)